यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 69/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. उगन्ती देवी पत्नि नाथूलाल
2. नाथूलाल दत्तक पुत्र भोरया
3. मुरलीचन्द पुत्र तुलस्या जाति रैगर निवासी लिवाली तहसील बामनवास

–प्रार्थीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री विजयसिंह गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 21-12-25

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3174 रकबा 0.53 है0, 3177 रकबा 0.15 है0, 3186 रकबा 1.87 है0, 3187 करबा 0.59 है0, 3351 रकबा 0.14 है0, 3353 रकबा 0.22 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.50 है0, जिनका नया खाता संख्या 64 व पुराना खाता संख्या 294 है, स्थित ग्राम लिवाली तहसील बामनवास में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। एवं डोल मेड़ का विवाद रखते है प्रार्थीया को काश्त करने में भारी परेशानी आ रही है। प्रार्थीया ने इन लोगों से तंग आकर अपनी भूमि का श्रीमान तहसीलदार महोदय बामनवास से दिनांक 10.06.2025 को सीमाज्ञान करवाया, जिसकी सत्यप्रति प्रार्थीगण के पास मौजूद है। प्रार्थीगण इन लोगों से परेशान होकर सीमाज्ञान करवा चुके है। एवं शांतिपूर्वक काश्त करने के लिए अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है, जिससे कि डोल मेड़ का विवाद प्रार्थीगण ग्राम लिवाली तहसील बामनवास के निवासी है एवं प्रार्थीगण की भूमि भी ग्राम लिवाली में स्थित है, इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। जबकि प्रार्थीगण के खेत के आस पास अन्य किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी भूमि नहीं है, लेकिन पड़ौसियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमियों द्वारा ही प्रार्थीया की डोल मेड़ को तोड़ा गया हैं। इस वजह से प्रार्थीया की कृषि भमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी कृषि भमि हाल खसरा नम्बर 3174 रकबा 0.53 है0, 3177 रकबा 0.15 है0, 3186 रकबा 1.87 है0, 3187 करबा 0.59 है0, 3351 रकबा 0.14 है0, 3353 रकबा 0.22 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.50 है0, स्थित ग्राम लिवाली तहसील बामनवास की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 15:43:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बामनवास की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम लिवाली

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

पटवार मण्डल लिवाली बी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बामनवास तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबंर 3174 रकबा 0.53 है0, 3177 रकबा 0.15 है0, 3186 रकबा 1.87 है0, 3187 करबा 0.59 है0, 3351 रकबा 0.14 है0, 3353 रकबा 0.22 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.50 है0, स्थित ग्राम लिवाली तहसील बामनवास स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम लिवाली पटवार मण्डल लिवाली बी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बामनवास तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबंर 3174 रकबा 0.53 है0, 3177 रकबा 0.15 है0, 3186 रकबा 1.87 है0, 3187 करबा 0.59 है0, 3351 रकबा 0.14 है0, 3353 रकवा 0.22 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.50 है0, स्थित ग्राम लिवाली तहसील बामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0 निरीक्षक लिवाल को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक लिवाली जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास(सवाई माधोपुर)

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 15:43:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner